भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु न्यायालय के निर्देश

1841. एडवोकेट अद्दूर प्रकाश:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी सिविल कर्मचारी मानने के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र सरकार को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के रूप में बहुत कम राशि मिल रही है और वे किन्हीं अन्य लाभों के हकदार नहीं हैं; और

(ड.) यदि हां, तो क्या सरकार का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.) : गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने आर/विशेष सिविल आवेदन संख्या 8164/2015 'आदर्श गुजरात आंगनवाड़ी संघ एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य तथा अन्य 14 संबंधित याचिकाओं पर 02.08.2024 को निर्णय पारित किया है। मंत्रालय निर्णय की जांच कर रहा है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति बनाती है और योजना बनाने का काम करती है। राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम को क्रियान्वित करती हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्थात आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय से "मानद कार्यकर्त्री" हैं जो समुदाय की मदद करने के लिए बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं जिसके लिए उन्हें मासिक मानदेय दिया जाता है।

भारत सरकार समय-समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू)/आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के मानदेय में वृद्धि करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू)/आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) का मानदेय अंतिम बार 1 अक्टूबर, 2018 को संशोधित किया गया था। इस संशोधन के अनुसार मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में एडब्ल्यूडब्ल्यू का मानदेय 4,500/- रुपये प्रति माह, लघु-आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्त्रियों का मानदेय3,500/- रुपये प्रति माह और एडब्ल्यूएच का मानदेय 2,250/- रुपये प्रति माह है। इसके अलावा, एडब्ल्यूएच को 250/- रुपये प्रति माह और एडब्ल्यूडब्ल्यू को 500/- रुपये का निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके साथ ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से निरंतर संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और परामर्श के माध्यम से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को योजना से अलग कार्यों में न लगाएं ताकि योजना के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनके समय का बेहतर उपयोग किया जा सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं/पहलें की गई हैं:

(i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाएंगे और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूर्ति के अधीन 5 वर्ष के अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

(ii) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं (किसी भी कारण से जीवन जोखिम, मृत्यु को कवर करता है) के लिए 2.00 लाख रुपये के जीवन बीमा का लाभ प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18-59 वर्ष की आयु की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है।

(iii) राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत खुद को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(iv) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि यानी प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाएं।

(v) अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य सेवा वार्षिक कवरेज देने की घोषणा की गई है।

(vi) वर्दी: आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को दो वर्दी (साड़ी/सूट प्रति वर्ष)उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के आदेश जारी किए हैं। इससे देश भर के इन लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में एक आंगनवाड़ी सहायिका जुड़ जाएगी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का बोझ साझा करेगी।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराके उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। इस ऑनलाइन प्रणाली ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा तैयार और उपयोग किए जाने वाले ग्यारह में से 9 भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल कर दिया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही उन्हें आंगनवाड़ी में सभी कार्यकलापों की निगरानी के लिए अधिक समय मिलता है। एडब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को भी स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं। इसी तरह, एडब्ल्यूडब्ल्यू, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को डेटा रिचार्ज सहायता भी प्रदान की जाती है।

****

अनुलग्नक

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों पर न्यायालय के निर्देश" के संबंध में एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अपने स्वयं के स्रोतों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/ आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय/ प्रोत्साहन (प्रति माह) रुपये में	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	आंगनवाड़ी सहायिका
1	आंध्र प्रदेश	7000	4750
2	बिहार	2500	1725
3	छत्तीसगढ़	5500	2750
4	गोवा	5500 (0-10 वर्ष का अनुभव), 6000 (10-15 वर्ष का अनुभव), 8000 (15 से 20 वर्ष का अनुभव) 10000 (20-25 वर्ष का अनुभव) और 12000 (25 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3000 (0-5 वर्ष का अनुभव), 3500 (5-10 वर्ष का अनुभव), 4000 (10 से 15 वर्ष का अनुभव) 4500 (15-20 वर्ष का अनुभव) , 5250 (20 से 25 वर्ष का अनुभव) और 6000 (25 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
5	गुजरात	5500	3250
6	हरियाणा	9500 (10 वर्ष से अधिक सेवारत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) 9000 (10 वर्ष से कम सेवा/अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 9000 (लघु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 4000 प्ले स्कूलों (अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केंद्र) में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।	5250

7	हिमाचल प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 5000 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 2950	3100
8	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
9	झारखंड	5000 (मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र) और 6000 लघु आंगनवाड़ी केन्द्र	2500
10	कर्नाटक	6500	4000
11	केरल	5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 8000/- रुपये तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 8500/- रुपये	5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 6250/- रुपये और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 6750/- रुपये
12	मध्य प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 8500 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3750	4250
13	महाराष्ट्र	5500 (10 वर्ष तक का अनुभव) 5800 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 5900 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 6000 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3250 (10 वर्ष तक का अनुभव) 3415 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 3470 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 3525 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
14	ओडिशा	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1875	1500
15	पंजाब	5000 (प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि)।	3100 (प्रति वर्ष 250 वेतन वृद्धि)
16	राजस्थान	4554	3036
17	तमिलनाडु	10502	6596
18	तेलंगाना	9150	5550
19	उत्तर प्रदेश	1500	750
20	उत्तराखंड	4800- मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए और 2750- लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए	3000
21	पश्चिम बंगाल	3750	4050
22	एक प्रायद्वीप	7500	5750

23	चंडीगढ़	3600	1800
24	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	1000	600
25	लक्षद्वीप	5500	4750
26	दिल्ली	8220	4560
27	पुद्दुचेरी	1950	2125
28	अरुणाचल प्रदेश	2000+ 1000, 16.01.2024 से प्रभावी	2000+ 1000 16.01.2024 से प्रभावी
29	असम	2000 for AWW & 1250 for Mini मुख्य आंगनवाड़ी की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 2000 और लघु आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्रियों के लिए 1250	1000
30	मणिपुर	1000	600
31	मेघालय	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1500	1000
32	मिजोरम	450	250
33	नगालैंड	0	0
34	सिक्किम	7000	4500
35	त्रिपुरा	5946 (अधिकतम) और 3500 न्यूनतम	4218 (अधिकतम) एवं 2750 (न्यूनतम)
36	लद्दाख	1300	650

*****